झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–308 / 2019

मेसर्स नेशनल प्रिंटर, प्रोपराइटर एपेक्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय 8एच और 81, औद्योगिक क्षेत्र, नामकुम, डाकघर एवं थाना–नामकुम, जिला–रांची–834010 में है, जो अपने निदेशक श्री कृष्ण कांत केडिया, पे0–गोपी चंद केडिया, सा0–लालपुर, डाकघर एवं थाना–लालपुर, जिला–रांची–834001 के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है।

..... याचिकाकर्त्ता

बनाम

1. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद अपने राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से वर्तमान में नया कार्यालय–जे0एस0ए0 स्टेडियम, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची में, पुराना पता–सहकारी भवन, श्यामली बिल्डिंग, डोरंडा, डाकघर एवं थाना–डोरंडा, रांची।
2. प्रशासनिक अधिकारी–सह–मांगपत्र अधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, जे0एस0ए0 स्टेडियम के पास, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची।
3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव के माध्यम से भारत संघ, भारत सरकार, शास्त्री भवन, राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली, डाकघर, थाना और जिला–नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव, एच0आर0डी0–सह–राज्य परियोजना निदेशक, जे0ई0पी0सी0, नई सहकारी इमारत, श्यामली भवन, डाकघर एवं थाना–डोरंडा, जिला–रांची।

..... उत्तरदातागण

कोरमः **माननीय मुख्य न्यायाधीश**

माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री एम0एस0 मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राहुल लांबा, अधिवक्ता, श्री नवीन कुमार, अधिवक्ता, सुश्री वर्षा रामिसारिया, अधिवक्ता, श्री जैद इमाम, अधिवक्ता

उत्तरदाता सं0 1 और 2 के लिए : श्री कृष्ण मुरारी, अधिवक्ता

उत्तरदाता सं0 3 के लिए : श्री प्रभात कुमार सिन्हा, सी0जी0सी0

आदेश संख्या 02:दिनांक 2 मई, 2019

अनिरूद्ध बोस, सी0जे0

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अभिवचन पर, कि 3 मई 2019 तक त्रुटियों को दूर कर दिया जाएगा, हम इस आवेदन पर विचार करते हैं।

2. दिनांक 23वीं अप्रैल, 2019 को एल0पी0ए0 सं0 600/2017 (एल0पी0ए0 सं0 03/2019 के साथ) के हमारे निर्णय द्वारा, हमने उसके कंडिका–25 में निर्धारित तथा प्रेक्षण किया था कि :–

25. ''कुछ कटौती करने के बाद जे0ई0पी0सी0 द्वारा मेसर्स नेशनल प्रिंटर्स–रिट याचिकाकर्ता को 25,11,61,70,081/–की राशि देय पाई गई। रिट याचिकाकर्ता को देय बकाया राशि विवाद का मामला नहीं है, वरन् रिट याचिकाकर्ता को उसके भुगतान नहीं होने के कारण पीड़ित बनाया गया है। बकाया होने की तारीख से बकाये की राशि पर 6 प्रतिशत सूद का पंचाट अनुचित या अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। देय भुगतानों पर रोक लगने के कारण, रिट याचिकाकर्ता स्वीकार्य राशि के मूल्य को खो रहा है, जिसे रिट कोर्ट ने ब्याज के अनुदान से सही मुआवजा दिया है। हम रिट कोर्ट द्वारा निर्देशित ब्याज के पंचाट में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते हैं, क्योंकि अपीलकर्ताओं की ओर से कोई आधार नहीं बनाया गया है। जैसा कि निर्णय के पूर्वगामी भाग में निर्देशित किया गया है, राज्य सरकार द्वारा ब्याज के साथ स्वीकार्य किए गए बकाया के हिस्से को जो रजिस्ट्री में अपीलकर्ता द्वारा जमा किया गया है, बिना किसी देरी के रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में विद्वान रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया जाए।''

3. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता बताते हैं कि रजिस्ट्री के पास जो राशि जमा की गई थी, उसका वर्तमान में कुछ ब्याज अर्जित हुआ है और ब्याज की राशि आवेदक–रिट याचिकाकर्ता द्वारा पूर्वोक्त आदेश के संदर्भ में आदेशित राशि के साथ भुगतान किया जाना चाहिए।

4. जिस राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, वह राज्य के बकाये का हिस्सा है और स्वीकार्य की गई स्थिति यह है कि उक्त शेयर को दो चेक यथा 7,24,74,509/– की राशि के लिए नंबर 444992 का चेक और 1,61,33,750/– की राशि के लिए संख्या 444994 का चेक जमा किया गया है। उक्त चेक की रजिस्ट्री द्वारा जमा की तारीख से, पूर्वोक्त राशि के संबंध में उत्पन्न ब्याज भी आवेदक–रिट याचिकाकर्ता को जारी किया जाएगा, लेकिन प्रेषित की जाने वाली कुल राशि पूर्वोक्त में दो चेकों से जमा की गई मूल राशि और उस पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज दर से उत्पन्न ब्याज से अधिक नहीं होगी। इस राशि को 8 मई, 2019 तक जारी किया जाएगा।

5. जे0ई0पी0सी0 ने रजिस्ट्री में जमा की गई शेष राशि को उसी तरीके से वापस करने के लिए प्रार्थना की।

6. यदि उचित आवेदन लाया जाता है तो हम ऐसी प्रार्थना पर विचार करेंगे।

7. आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

(अनिरूद्ध बोस, सी0जे0)

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)